संख्याः 766 /I(2)/2008-04(1)/34/06

प्रेषक,

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 19 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु धनराशि की मॉग के सम्बन्ध में (विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 124/यू.जे.वी.एन.एल./पी.एफ.एण्डए. दिनॉक 21.02.2008 एवं पत्र संख्या 130, दिनांक 15.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की वृहद जल विद्युत परियोजनाओं (बावला नन्द प्रयाग, आराकोटी त्यूनी, नन्दप्रयाग लगरासू, सिरकारी भ्योल रुपसिया बगड़, भैरोंघाटी, तमकलता, त्यूनी प्लासू), लघु जल विद्युत परियोजनाओं (तांकुल, भिलंगना–।। एवं अस्सी गंगा–।।। तथा चीला (एमएण्डयू)) की डी0पी0आर0 बनाये जाने हेतु रू0 14,00,00,000/– (रु0 चौदह करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर प्राक्कलन एवं निदेशक मण्डल का अनुमोदन शासन को उपलब्ध कराएगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के निदेशक, वित्त, द्वारा तैयार बिलों पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2008 तक तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न कर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/मदवार विवरण शासन को दिं0 31.3.2008 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

.....2

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित परियोजनाओं में राज्य की अंशपूंजी/निवेश के रुप में समायोजित किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत–190 –सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–06–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 108/XXVII(2)/2007. दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्या:766/1(2)/2008-04(1)/34/06, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
5– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
7– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– वित्त अनुभाग–2
10– निदेशक,राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
11– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव